

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002962016

दांडिक प्रकरण क.-342 / 16

संस्थापित दिनांक-08.09.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-परशुराम पुत्र नौला बंजारा उम्र 20 साल निवासी पीपरीधार थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री नरेश जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 01.04.2017 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी

जमनाबाई ने दिनांक 23.08.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह अपने खेत से मिर्ची नींद कर आ रही थी तभी दयाराम बंजारा के खेत के पास परसुराम बंजारा आया और उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। वह चिल्लाई और उसने अपना हाथ छुड़ाया तो वह गिर गई। उसके चिल्लाने पर परशुराम उसे छोड़कर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 307/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 23.08.15 को समय शाम 5 बजे ग्राम पीपरीधार पर फरियादिया जमनाबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 डॉ एम एल खरका, अ. सा. 02 जमनाबाई, अ.सा. 03 किशनलाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 जमनाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से झगडा हो गया था जिसके संबंध में उसने प्रपी 02 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिसके

ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 03 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने की नीयत से उसका हाथ पकड़ा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। अ. सा. 03 किशनलाल ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी पत्नी का आरोपी से खेत पर वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रपी 05 का ए से ए भाग पुलिस को दिया था। अ.सा. 01 डॉ एम एल खरका के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 23.08.15 को जमनाबाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी।

08— उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। एक भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर अपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा

428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)